

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०- 1/अनु० जा०/ज०जा०(परी०शु०)-15-66-01/2012-५९

(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/05/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत उपबंधित राशि से अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की बकाये एवं वर्तमान वर्ष की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध राशि अनु० जनजाति के लिए ₹30,00,000/- (तीस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु० जनजाति के लिए उक्त स्वीकृत राशि ₹30,00,000/- (तीस लाख रु०) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के आय-व्ययक मुख्य शीर्ष -2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उपमुख्य शीर्ष -02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष -277 -शिक्षा-मांग संख्या-44-उपशीर्ष -0001-छात्रवृत्ति और वृत्तियां- विषय शीर्ष -0001.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-44- 2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3 - इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे।

4- इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पटना होंगे।

5- जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। वे वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उससे संतुष्ट होकर तथा मांग की जांच करने के पश्चात ही राशि विमुक्त करेंगे। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

6-इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०-1/अनु० जा०/ज०जा०(परी०शु०)-15-66-01/2012 के पृष्ठ- /टि० पर प्राप्त है।

7- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

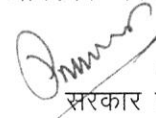
बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव

ज्ञापक-1/अनु० जा०/ज०जा०(परी०शु०)-15-66-01/2012- ५९

पटना-15, दिनांक- 18/05/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना /प्रमंडलीय उप निदेशक (कल्याण), पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

